न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-10RAAJodhpur2025-10RTA223 Geeta Devi Vs State of Rajasthan etc

गीता देवी पुत्री स्व. श्री बद्रीनारायण पत्नी श्री अनिल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवाल बस्ती, राजबाग सुरसागर, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राज.।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 दिसंबर 2024 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 100/2024 गीता देवी बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित–
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

नि र्ण य

दिनांक : 01 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 100/2024 अनवान गीतो देवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 दिसंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम बिलाड़ा चक नं 3, तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टेयर के संबंध में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में स्व. हंजा की फौतेदगी उपरांत उसके नाम दर्ज भूमि में अपने पुश्तैनी हिस्से की खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2024 को वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीनी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में कथन किये कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टेयर वादीनी व अन्य सहखातेदार रीता तुंगरिया, ज्योति, भूपेन्द्रसिंह, रोनक व हंजा की सयुंक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज सहखातेदार हंजा पत्नी बद्रीनारायण का 1/6 हिस्सा है तथा सहखातेदार हंजा का स्वर्गवास दिनांक 29.11.2014 को हो गया है। वाद पत्र के पद संख्या 2 में दर्शित वंशावली वृक्ष के अनुसार हंजा वादीनी की माता है तथा हंजा के एक पुत्र मनोज कुमार है, जिसका स्वर्गवास वादी की माता हंजा व वादी के पिता बद्रीनारायण के जीवनकाल में ही हो गया था। मनोज कुमार के वारिस पत्नी ज्योति व पुत्र रोनक है। स्व. हंजा की वंशावली वृक्ष के अलावा कोई अन्य जीवित वारिस नहीं है। वादी की माता हंजा का स्वर्गवास होने से वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज उनका 1/6 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार वादीनी व स्व. मनोज कुमार के वारिसान् ज्योति व रोनक में निहित हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि में हंजा के फौत होने से वादीनी को 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/12 वा हिस्सा तथा स्व. मनोज कुमार के वारिसान् को 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से स्व. मनोज कुमार के वारिसान् पत्नी ज्योति को 1/24 वॉ हिस्सा व पुत्र रोनक को 1/24 वॉ हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित हुआ है। वादीनी द्वारा अपने वाद में इसी अनुसार अनुतोष चाहा था। रेस्पोडेण्ट द्वारा पेश जवाब में भी वादग्रस्त कृषि भूमि के सहखातेदार स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के 1/6 हिस्सा में उनके कानूनी वारिस के रूप में वादीनी गीतादेवी का 1/12 वॉ हिस्सा, ज्योति पत्नी स्व. मनोज कुमार का 1/24 वॉ हिस्सा एवं रोनक पुत्र स्व. मनोज कुमार का 1/24 वॉ हिस्सा दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की सहमति प्रदान की है। वादीनी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। दस्तावेज प्रदर्श–1 वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज अनुसार हंजा पत्नी बद्रीनारायण का 1/6 हिस्सा दर्ज है। दस्तावेज प्रदर्श–2 जो स्व. हंजादेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिसके अनुसार हंजादेवी की मृत्यु होना साबित है। दस्तावेज प्रदर्श–3 बद्रीनारायण, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीनी के पिता है, का मृत्यु प्रमाण पत्र है। दस्तावेज प्रदर्श–4 म्यूटेशन संख्या 7649 ग्राम बिलाडा चक न. 3 की सत्य प्रतिलिपि है, जो वादीनी के पिता बद्रीनारायण एवं भाई मनोज कुमार की फौतेदगी उपंरात तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 11.09.2014 को स्वीकृत किया गया। उक्त फौतेदगी नामांरतकरण से साबित है कि बद्रीनारायण के वारिसान हंजा पत्नी बद्रीनारायण, रोनक पुत्र मनोज कुमार, ज्योति पत्नी मनोज कुमार, गीता पुत्री बद्रीनारायण ही है, इनके अलावा स्व. बद्रीनारायण के कोई अन्य वारिस नही होना प्रमाणित है। दस्तावेज प्रदर्श 4 से यह भी प्रमाणित है कि हंजा पत्नी बद्रीनारायण के वारिस वादीनी गीता, रोनक पुत्र मनोज कुमार व ज्योति पत्नी मनोज कुमार है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पी. डब्ल्यू. 1 वादीनी गीता के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रदर्श 7 तक व रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया साबित होने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद को इस आधार पर खारिज किया कि वादीनी द्वारा वादग्रस्त भूमि में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही वादीनी द्वारा इसका कारण स्पष्ट किया गया। यह उल्लेखनीय है कि वादीनी द्वारा अपने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष से सहखातेदारों के हिस्से प्रभावित नही हो रहे है, इसलिए सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। ऐसी स्थिति में इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। यह उल्लेखनीय है कि वानीनी द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के सहखातेदार रीता तुंगरिया, ज्योति, भूपेन्द्रसिंह, रोनक के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद में रेकर्डेड खातेदार हंजा पत्नी बद्रीनारायण के दर्ज 1/6 हिस्से के सम्बंध में ही अनुतोष चाहा है, इसलिए उपरोक्त रेकर्डेड खातेदार प्रस्तुत वाद में न तो आवश्यक पक्षकार है, न ही वादीनी द्वारा हंजा पत्नी बद्रीनारायण के दर्ज 1/6 हिस्से के सम्बंध में प्रस्तुत वाद के जरिये चाहे गये अनुतोष से उपरोक्त रेकर्डेड सहखातेदार के हिस्से प्रभावित हो रहे है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय को न्याय निर्णयन हेतु वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य दर्ज उपरोक्त रेकर्डेड सहखातेदारान् की सुनवाई किया जाना आवश्यक प्रतीत होता तो अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त रेकर्डेड सहखातेदार को पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित कर सकता था,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसके सम्बंध में आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी में स्पष्ट प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 (2) सी पी सी के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, क्योकि आदेश 1 नियम 9 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन के आधार पर वाद खारिज नही किया जा सकता तथा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में यह माना है कि वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना निर्णय करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार एक तरफ अधीनस्थ न्यायालय स्वयं यह मान रहा है कि रेकडेड सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना निर्णय करना न्यायोचित प्रतीत नहीं है तथा दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर रहा है। इस प्रकार उपरोक्त आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद को इस आधार पर खारिज किया कि वादीनी द्वारा मनोज कुमार को फौत होना बताया है, किन्तु वादीनी ने अपने शपथ पत्र में मनोज कुमार के फौत होने की दिनांक अंकित नहीं की है, न ही मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया है। साथ ही भूमिधारी ने भी वादीनी के अनुतोष के अनुसार हिस्सा घोषित करने की सहमति प्रदान की है, किन्तु भूमिधारी ने सजरा रिपोर्ट संलग्न नहीं की है, जिससे यह ज्ञात हो कि स्व हंजा पत्नी बद्रीनारायण के वारिसान जो वादीनी द्वारा वाद पत्र में अंकित किये हुए है, उनके अतिरिक्त कोई नही है। भूमिधारी ने सिर्फ पूर्व नामा सं 7649 के जरिये जो नाम इन्द्राज हुये उनको वारिसान मान लिया गया, किन्तु यह कैसे मान लिया जाए कि उस वक्त सजरा फर्द बनाकर फौतेदगी नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। अगर सजरा फर्द रिपोर्ट बनाकर नामा स्वीकृत किया गया तो उसकी प्रति जवाबदावा के साथ संलग्न नहीं की है, जिसके अभाव में स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के वारिसान का मालूम नहीं किया जा सकता है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। क्योकि वादीनी ने मनोज कुमार की मृत्यु होने के सम्बंध में प्रदर्श 4 बद्रीनारायण का फौतेदगी म्यूटेशन सं 7649 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पेश किया, जिससे प्रमाणित है कि मनोज कुमार का स्वर्गवास उसके पिता बद्रीनारायण के पूर्व ही हो गया क्योकि उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में मनोज कुमार के वारिस रोनक व ज्योति का नाम दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया। यदि उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के समय मनोज कुमार जीवित होता तो मनोज कुमार के वारिस रोनक व ज्योति का नाम दर्ज नही किया जाता तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के अन्तिम कॉलम में दर्ज इन्द्राज के अनुसार स्व बद्रीनारायण के वारिसान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, ब्रदीनारायण व मनोज कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.09.2014 को दर्ज किया तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त इन्द्राज को अपनी उक्त फौतेदगी म्यूटेशन पर की गयी जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2014 में सही होना माना तत्पश्चात् उक्त फौतेदगी म्यूटेशन को हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 11.09.2014 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार प्रदर्श 4 से प्रमाणित है कि मनोज कुमार की मृत्यु बद्रीनारायण के जीवनकाल में ही हो गयी थी। इसलिए वाद पत्र में अलग से मनोज कुमार के फौत होने की दिनांक अंकित करने की आवश्यकता नहीं थी व न ही मनोज कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये जाने की कोई आवश्यकता थी। रेस्पोडेण्ट द्वारा भी पेश जवाब में मनोज कुमार को पूर्व में फौत होना बताया है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व पेश साक्ष्य हेतु शपथ पत्र में स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के वारिसान का वंशावली वृक्ष अंकित किया है तथा यह भी बताया है कि उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अलावा स्व हंजा पत्नी बद्रीनारायण के अन्य कोई जीवित वारिसान नहीं है। इसलिए रेस्पोडेण्ट को उनके द्वारा पेश जवाब में स्व. हंजा की सजरा रिपोर्ट अंकित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बद्रीनारायण फौत होने से. मनोज कुमार फौत होने से प्रदर्श 4 में वर्णितानुसार वारिसान के अलावा अन्य जीवित वारिस होने की संभावना भी नहीं की जा सकती है तथा प्रदर्श 4 में दर्ज इन्द्राज अनुसार बद्रीनारायण के वारिसान में से हंजा पत्नी बद्रीनारायण फौत होने से हंजा पत्नी बद्रीनारायण के वारिस वादी गीता व मनोज कुमार के वारिस रौनक व ज्योति होना स्पष्ट प्रमाणित है। प्रदर्श 4 को आज दिन तक चद्रीनारायण के किसी भी वारिसान द्वारा चैलेन्ज नही किया है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रदर्श 4 में बद्रीनारायण के जो वारिस दर्ज किये गये है उसके अलावा बद्रीनारायण के कोई वारिस नही है। इस प्रकार उपरोक्त आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिले निरस्तनीय है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 100/2024 बअनवान गीतादेवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23 दिसंबर 2024 को अपास्त किया जावे तथा वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट को स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाडा चक न. 3. तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टेयर में सहखातेदार स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के दर्ज 1/6 हिस्से के स्थान पर वादीनी/अपीलार्थीनी को 1/12 वॉ हिस्से का, ज्योति पत्नी स्व. मनोज कुमार को 1/24 वॉ हिस्से का व रोनक पुत्र स्व. मनोज कुमार को 1/24 वॉ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री फरमायी जावे तथा मुताबिक डिक्री के अनुसार म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। साथ ही नामांतरकरण दर्ज करने के दौरान स्व. बद्रीनारायण के वारिसान् के पूर्व में दर्ज हिस्से में घोषित उपरोक्त हिस्से को जोड़कर जो हिस्सा बनता है उस हिस्से अनुसार म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आदेश 01 नियम 09 सीपीसी के प्रावधानों की प्रति पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीनी/अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4315/32 रकबा 2.4270 हेक्टयेर में स्व. हंजा पत्नी बंद्रीनारायण के वादग्रस्त आराजी में निहित 1/6 हिस्से में अपने 1/12 वे हिस्से के खातेदारी अधिकारों का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीनी के वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादीनी द्वारा स्व. मनोज कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही उसके द्वारा स्व. हंजा का सजरा खानदान पेश किया। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारों को मूलवाद में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के आधार पर वादीनी का वाद खारिज किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय के उक्त आक्षेपों के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 7649 दिनांक 11.09.2014 के अवलोकन से प्रकट होता है कि स्व. बंद्रीनारायण की फौतेदगी पर उनके वारिसान् हजां(पत्नी), गीता(पुत्री), रोनक पुत्र मनोज कुमार(पौत्र) तथा ज्योति पत्नी मनोज कुमार(पुत्रवधु) के नाम से फौतेदगी नामांतरकरण स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। उक्त नामांतरकरण से स्पष्ट है कि स्व. बद्रीनारायण के वारिसान् ही स्वं. हंजा के वारिसान् है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा अपने जवाब के पद संख्या 04 में स्वं. हंजा के वारिसन् की पंष्टि की है। यह उल्ल्लेखनीय है कि वादीनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत कर स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण का सजरा खानदान प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यों से साबित है कि नामांतरकरण संख्या 7649 में दर्ज व्यक्तियों के अलावा स्व. हंजा के कोई वारिसान् नहीं है। अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजी में स्वं. हंजा के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में पुश्तैनी आधार पर 1/12 वे हिस्से की खातेदारी घोषणा की कानूनन अधिकारी है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा विचारण न्यायालय के स्व. हंजा के वारिसान् के संबंध में उठाये गये उज्र से सहमत नहीं है।

स्व. बद्रीनारायण के फौतेदगी नामांतरकरण में स्व. मनोज कुमार के वारिसान् का नाम आने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्व. मनोज कुमार स्व. बद्रीनारायण से पूर्व ही फौत हो गया है। इस कारण प्रथमदृष्टया स्व. मनोज के मृत्यू प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है।

जहां तक विचारण न्यायालय का मत है कि वादीनी द्वारा सभी सहखातेदारान् को पक्षकार संयाजित नही किया गया। इस संबंध में अदालत हाजा वादीनी के इस मत से सहमत है कि वादीनी द्वारा अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। उसके द्वारा केवल स्व. हंजा के के नाम दर्ज भूमि में अपना 1/12 वॉ पुश्तैनी हिस्से का अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में उसे वाद में पक्षकार संयोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाये जाने से तदुनसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 100/2024 अनवान गीतो देवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 दिसंबर 2024 निरस्त किये जाकर वादीनी का वाद माफिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टेयर ग्राम बिलाड़ा चक–3 में स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के नाम दर्ज 1/6 वॉ हिस्सा भूमि में वादीनी को 1/12 हिस्सा, ज्योति पत्नी मनोज कुमार को 1/24 वॉ हिस्सा तथा रौनक पुत्र मनोज कुमार को 1/24 वॉ हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वक्त नामांतरकरण कार्यवाही वादग्रस्त आराजी में स्व. मनोज कुमार के वारिसान् के पूर्व में दर्ज हिस्से के साथ उक्त नव–घोषित हिस्से को साथ में जोड़ा जाकर जमाबंदी में इन्द्राज किया जावे, ताकि जमाबंदी में समान नाम की पुनरावृति न हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-10RAAJodhpur2025-10RTA223 Geeta Devi Vs State of Rajasthan etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
गीता देवी पुत्री स्व. श्री बद्रीनारायण पत्नी श्री अनिल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवाल बस्ती, राजबाग सुरसागर, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राज.।	**ब ना म**	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 दिसंबर 2024 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 100/2024 गीता देवी बनाम राजस्थान सरकार

यह अपील बतारीख 01 अप्रैल 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाये जाने से तदुनसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 100/2024 अनवान गीतो देवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 दिसंबर 2024 निरस्त किये जाकर वादीनी का वाद माफिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टेयर ग्राम बिलाड़ा चक-3 में स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के नाम दर्ज 1/6 वॉ हिस्सा भूमि में वादीनी को 1/12 हिस्सा, ज्योति पत्नी मनोज कुमार को 1/24 वॉ हिस्सा तथा रौनक पुत्र मनोज कुमार को 1/24 वॉ हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वक्त नामांतरकरण कार्यवाही वादग्रस्त आराजी में स्व. मनोज कुमार के वारिसान् के पूर्व में दर्ज हिस्से के साथ उक्त नव-घोषित हिस्से को साथ में जोड़ा जाकर जमाबंदी में इन्द्राज किया जावे, ताकि जमाबंदी में समान नाम की पुनरावृति न हो। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 01 अप्रैल 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फ़ीस वाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर